संख्या-2/2015/114/21-1-2015-1(3)/97

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश।

भाषा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2015

विषयः- सरकारी कार्यो में चिन्हित प्रयोजनों हेतु द्वितीय राजभाषा उर्दू का प्रयोग।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राजभाषा(संशोधन) अधिनियम,1989 तथा तत्क्रम में जारी अधिसूचना संख्या-4171/21-89-1-1980, दिनांक 07 अक्टूबर,1989 के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर जारी शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना के अनुसार द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किया जाना अपेक्षित हैं:-

(1) उर्दू में अर्जियों और आवेदन-पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर।
(2) उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबन्धन कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाना।
(3) महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन।
(4) सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों का उर्दू में भी जारी किया जाना।
(5) महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन।
(6) गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन।
(7) महत्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में भी प्रदर्शन।

-----2

http://shasanadesh.up.nic.in

2- सिविल अपील संख्या-459 वर्ष 1997 में दिनांक 04 सितम्बर, 2014 को दिये गये निर्णय में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ऊपर वर्णित व्यवस्था को पूर्णतः संवैधानिक करार दिया गया है।

अतः उक्त संदर्भ में मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु अनिवार्यतः किया जाय तथा इस सम्बन्ध में कोई शिथिलता न बरती जाय।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2015/114(1)/21-1-2015-1(3)/97-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(डा0 अलका टण्डन भटनागर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in